मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
08/09/17	10/05/20	3 वर्ष, 1 माह, 26 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष	माह/दिनॉक/वर्ष	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी.संख्या-340/2017
1. श्रीमती ममता कुमारी पत्नी स्व. श्री स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 40 वर्ष
2. कु. सौम्या पटेल पुत्री स्व. श्री स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 18 वर्ष
3. हर्षित पटेल पुत्र स्व. श्री स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 17 वर्ष (नाबालिग)
4. कैलाश वर्मा पुत्र श्री अजुद्दी प्रसाद उम्र 65 वर्ष
5. श्रीमती सुकृता पत्नी कैलाश वर्मा उम्र 60 वर्ष

याची सं. 3 नाबालिग जरिये संरक्षिका मॉ श्रीमती ममता कुमारी
समस्त निवासीगण 1683/1 एफ, महाराणा प्रताप नर पिछोर जिला झाँसी, उ.प्र.

--------याचीगण।

बनाम

1. प्रदीप साहू पुत्र श्री राम गोपाल निवासी 215, तिलयानी बजरिया झाँसी थाना कोतवाली जिला झाँसी, उ.प्र.

........मालिक ट्रक सं. 93 ए टी 8089

2. मुन्ना लाल तिवारी पुत्र आशाराम नि. रक्सा थाना रक्सा जिला झाँसी, उ.प्र.

.........चालक ट्रक सं. 93 ए टी 8089

3. दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये मण्डलीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., सीता होटल के पीछे, सिविल लाईन, झाँसी

.... बीमा कम्पनी ट्रक सं. 93 ए टी 8089

--------विपक्षीगण।

याचीगण के अधिवक्ता - इन्द्रपाल सिंह
विपक्षीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता - श्री जी.एस. तोमर
विपक्षी सं. 2 के अधिवक्ता - श्री हरिश्चन्द्र सिंह

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मृतक स्वतंत्र कुमार की कथित दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा-166 व 140 के अन्तर्गत मुब. 69,00,000/- रुपये क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 06.01.2017 को समय लगभग 04.30 बजे शाम याचीगण के पति, पिता व पुत्र स्वतंत्र कुमार अपनी मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एल 8254 से अपनी डियूटी कर सेमरी से झाँसी लौट रहे थे, जैसे ही वह झाँसी कानपुर मार्ग पर पारीछा स्थित हाईवे होटल के पास पहुँचे तभी ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये स्वतंत्र कुमार की मोटर साईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह मोटर साईकिल सहित नीचे गिर गये और उसके दाहिने पैर, जांघ, पैर पूरी तरह फट जाने से हड्डियाँ निकल आयी व पूरे शरीर में गम्भीर चोटें आई। घायल अवस्था में उसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती कराया गया जहाँ पर वह दिनाँक 06.02.2017 से 08.03.2017 तक भर्ती रहा व इलाज कराया। इसके बाद दिनाँक 14.03.2017 को हालत खराब होने पर पुनः भर्ती किया गया तथा दिनाँक 31.03.2017 को मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दौरान इलाज घायल स्वतंत्र कुमार की मृत्यु हो गई। दौरान उपचार दवाईयों, एक्स-रे, व डॉक्टरों की फीस आदि में लगभग 1,50,000/-₹ खर्च हुये। घटना के समय मृतक स्वतंत्र कुमार की उम्र 42 वर्ष थी तथा वह नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरी में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत थे व उन्हें 40,000/- ₹ प्रतिमाह वेतन मिलता था, जिससे पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। मृतक ही परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य था। मृतक की असामायिक मृत्यु हो जाने से याची सं. 1 अपने पति के प्यार व स्नेह से व याची सं. 2 व 3 अपने पिता के प्यार व स्नेह से तथा याची सं. 4 व 5 अपने पुत्र के प्यार व स्नेह से हमेशा के लिए वंचित हो गये व बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया है।

3. विपक्षी सं. 1 प्रदीप कुमार व विपक्षी सं. 2 मुन्ना लाल तिवारी जो कि क्रमशः प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के पंजीकृत स्वामी व चालक हैं, की ओर से 19बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार किया है तथा मुख्य रूप से यह अभिकथन किये हैं कि वास्तव में मृतक स्वयं अपनी मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर ओवर टेक करना चाहता था और बड़ी गाड़ी को ओवर टेक करने के कारण यह दुर्घटना घटी है। इसी गलती को छिपाने की नियत से दिनाँक 06.02.2017 की घटना की रिपोर्ट 06.03.2017 को दर्ज कराई गई। विपक्षी सं.1 के चालक विपक्षी सं. 2 की इस दुर्घटना में लेशमात्र भी गलती नहीं है। विपक्षी का उक्त वाहन विपक्षी सं. 3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के यहाँ दिनाँक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.05 17:53:29 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

कम्प्रीहेन्सिव बीमित था। अतः दुर्घटना क्षतिपूर्ति का सभी उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी का है। वाहन के सभी कागजात वैध व प्रभावी हैं।

4. विपक्षी सं. 3 दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 15 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुघर्टना के समय पर प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था, इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 26.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः-

1. क्या दिनाँक 06.02.2017 को समय करीब 4.30 बजे शाम याचिया के पति, पिता व पुत्र स्वतंत्र कुमार अपनी मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एल 8254 से समरी से झाँसी लौट रहे थे तो झाँसी कानपुर मार्ग पर ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे याचिया का पति नीचे गिर गया और उनके दांये पैर में, जांघ व पैर पूरी तरह फट जाने से हड्डियाॅ निकल आयीं व पूरे शरीर में गम्भीर चोटें आयीं। दिनाँक 31.03.2017 को मेडिकल कॉलेज झाँसी में याचिया के पति स्वतंत्र कुमार की मृत्यु हो गयी?

2. क्या दुर्घटना दिनाँक 06.02.2017 को प्रश्नगत ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

3. क्या प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनाँक 06.02.2017 को विपक्षी सं.3 ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. सीता होटल के पीछे सिविल लाईन,झाँसी के यहाॅ विधिवत बीमित था?

4. क्या याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाॅ तो कितनी व किससे?

5. अन्य अनुतोष?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

1. फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 12 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र ,नक्शा नजरी, इंजरी रिपोर्ट स्वतंत्र कुमार, कॉज ऑफ डेथ प्रमाणपत्र, पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाइसेन्स मुन्ना लाल तिवारी व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

2. फेहरिस्त 33 सी1/1 से 33 सी1/2 असल वेतन प्रमाण पत्र मृतक स्वतंत्र कुमार

3. फेहरिस्त 34 सी1 से 35 सी1/1 लगायत 35 सी1/11 प्रपत्र जिनमें एफ.आई.आर., आरोपपत्र, इंजरी रिपोर्ट व नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपियाँ शामिल हैं।

4. फेहरिस्त 36 सी1/1 लगायत 36 सी1/6 से 37 सी1/1 लगायत 37 सी1/120 प्रपत्र, जिनमें दवाओं के असल बिल शामिल है।

<u>मौखिक साक्ष्य-</u>

पी.डब्लू.1 याची श्रीमती ममता कुमारी पत्नी मृतक स्वतंत्र कुमार, पी.डब्लू.2 रामचन्द्र स्वतंत्र साक्षी व पी.डब्लू.3 कृष्ण मुरारी त्रिपाठी सर्विलांस इंसपेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगाँव, झाँसी

विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से -

5. विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 21 सी1 के माध्यम से 22 सी1 लगायत 27 सी1 प्रपत्र, जिनमें ड्राईविंग लाइसेन्स मुन्ना लाल तिवारी विपक्षी सं. 2, प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा पौलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र, व टैक्स जमा रसीद की छाया प्रतियाँ शामिल हैं

इसके अतिरिक्त फेहरिस्त 34 सी1 के माध्यम से श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, सर्विलांस इंसपेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगाँव द्वारा 35 सी1/1 लगायत 35 सी1/1 स्व. स्वतंत्र कुमार का असल वेतन प्रमाणपत्र, 35 सी1/2 लगायत 35 सी1/3 स्वतंत्र कुमार मृतक की सेवा पुस्तिका की स्व प्रमाणित छाया प्रति दाखिल की गयीं हैं।

श्री अजय नायक रिकॉर्ड कीपर महारानी लक्ष्मी बाई चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय, द्वारा फैहरिस्त 45 सी1 के माध्यम से 45 सी1/2 लगायत 45 सी1/72 प्रपत्र, जिनमें स्वतंत्र कुमार के बेड हेड टिकिट नं. 3217 व 6399 मय असल रिकॉर्ड, असल बिल व इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति शामिल हैं।

7. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, लिखित बहस का अवलोकन किया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याँकन किया।

8. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से 35 सी1/1 लगायत 35 सी1/4 एफ.आई.आर., 35 सी1/5 लगायत 35 सी1/5 आरोपपत्र, 35 सी1/9 इंजरी रिपोर्ट, 10 सी1/2

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के फार्म नं. 4 MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH की छाया प्रति व 35सी1/11 नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपियाँ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा चक्षुदर्शी पी.डब्लू.2 रामचन्द्र को परीक्षित कराया गया है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना में घायल (मृतक) स्वतंत्र कुमार द्वारा ही दिनाँक 04.03.2017 को प्रश्नगत ट्रक सं. 93 ए टी 8089 के चालक के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है,जिसमें उसने स्वयं यह अंकित कराया है कि उक्त ट्रक के चालक ने उसकी मोटर साईकिल में पारीछा स्थित हाईवे होटल के पास ट्रक को लापरवाही से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी। राम चन्द्र व अन्य लोगों ने ट्रक को रोका व नम्बर नोट किया, स्वास्थ सेवा की 108 एम्बुलेस द्वारा उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी पहुँचाया गया। सूचना पाकर उसकी पत्नी व बच्चे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पहुँच गये। वह आज भी मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती है और इलाज करवा रहा है। अत्यधिक घायल होने के कारण अभी तक किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने व रिपोर्ट लिखाने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में हुए बिलम्ब का कारण स्वयं घायल/मृतक स्वतंत्र कुमार ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया है तथा उक्त दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट से होती है। आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति 29सी1 के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक ने प्रस्तुत प्रकरण में बाद सम्पन्न करने विवेचना प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 93 ए टी 8080 के चालक मुन्ना लाल तिवारी (विपक्षी सं.2) के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में बिलंब से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का पर्याप्त कारण दर्शया गया है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है।* [पैरा -20 और 21]

10. पी.डब्लू.2 रामचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 06.02.2017 की है। वह अपने गॉव से झाँसी अपनी मोटर साईकिल से आ रहा था। जैसे ही वह 4.30 बजे शाम पारीछा के पास चल रहा था, उसके आगे ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 जा रहा था जो उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेर टेक किया था और आगे जा रही मोटर साईकिल चालक को टक्कर मार दी थी। उसने जाकर देखा तो वह उसके ही गाँव के स्वतंत्र कुमार थे, जो गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। वहाँ स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को पकड़ लिया था, लेकिन ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर भाग गया था। 100 डायल कर उन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया था और स्वतंत्र कुमार को पुलिस वाले मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस की मदद से ले गये थे। घटना उसने अपनी आँखों से देखी थी तथा ट्रक का नम्बर नोट करके स्वतंत्र कुमार को दे दिया था। पी.डब्लू.2 की प्रति परीक्षा में ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे की इस साक्षी की सत्यता पर संदेह किया जा सके। साक्षी का एक ही गांव निवासी होने के कारण परिचित होना स्वाभाविक ही है तथा गवाही के लिए आने पर याची द्वारा किराया दे देने मात्र से वह झूठा साबित नहीं हो जाता अतः बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता में यह तर्क रखा है कि दोनों वाहनों के तकनीकी निरीक्षण में मोटरसाइकिल का हैंडल, क्लच, हेड लाइट, ड्राइविंग मिरर व बॉडी क्षतिग्रस्त है तथा ट्रक का पिछला बंपर क्षतिग्रस्त है जिससे साबित होता है की मोटरसाइकिल में ट्रक में पीछे से कोई टक्कर नहीं मारी। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क तर्कसंगत नहीं है। ट्रक मजबूत लोहे का बना होता है। जिस दिशा में ट्रक चल रहा है उसी दिशा में (ट्रक के आगे) चल रही मोटरसाइकिल में पीछे से ट्रक द्वारा टक्कर मारने पर यह आवश्यक नहीं ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त ही हो जाए। ट्रक कोई दीवार से थोडे ही टकराया था जो टूट जाता ! पीछे से टक्कर लगने पर मोटरसाइकिल दायीं या बायीं ओर गिरेगी और इस गिरने में हैंडल, हेड लाइट, ड्राइविंग मिरर, बॉडी क्षतिग्रस्त हो ही जाएगी। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी अतार्किक है कि ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद सिर्फ घुटने के नीचे पीछे तरफ जख्म हो जाना किसी प्रकार संभव नहीं है। पीछे से टक्कर मारने पर मोटरसाइकिल सवारों को अक्सर ऐसी ही चोटें देखने में पाई जाती हैं। घाव की प्रकृति से स्पष्ट होता है की ट्रक का पहिया पैर के पिछले हिस्से पर इस प्रकार चढ़ा की उतने हिस्से की त्वचा कट गई और मांस बाहर दिखाई देने लगा जैसा कि दाखिल किए गए फोटोग्राफ से बिल्कूल स्पष्ट हो जाता है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है कि स्वतंत्र कुमार ने अपनी इच्छा से प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाही और इस प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और दुर्घटना से मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है। मेरे विचार से प्रथमतः कोई भी व्यक्ति शौकिया पैर की प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाना चाहेगा क्योंकि वह हिस्सा सदैव कपड़ों से ढका रहता है। इस प्रकरण में स्किन ग्राफ्टिंग चिकित्सीय आवश्यकता थी क्योंकि घाव (28x10 centimeter) इस प्रकार का था की यादि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वह ठीक नहीं हो पाता। महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झाँसी के मेडिकल सर्टिफिकेट आफ कॉज आफ डेथ के अनुसार मृतक की मृत्यु का त्वरित कारण (immidiate cause) स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान

कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट (जिस का खतरा ऑपरेशन के दौरान सदैव बना रहता है) है और पूर्ववर्ती कारण त्वचा व ऊतक का मांस पेशियों से अलग होने वाले गंभीर चोट (degloving) के मरीज के घाव में गंभीर सड़न (severe sepsis) व घाव से पानी निकलना (ascites) है। causa causens के आधार पर स्पष्ट है कि मृत्यु का सीधा/आसन्न (direct/proximate) कारण दुर्घटना में आई चोट हैं और इसमें दूरस्थता का सिद्धांत लागू किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह दिन मृतक को दुर्घटना में चोटें नहीं आई होती तो स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसकी मृत्यु कार्डियोपलमोनरी अरेस्ट से नहीं होती। ऑपरेशन के दौरान घायल या उसके घर वालों द्वारा मृत्यु के खतरे पर सहमति भी उपेक्षापूर्ण चालन के लिए बचाव का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार के मौखिक साक्ष्य व आरोप पत्र से स्पष्ट है कि ट्रक चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी और इस टक्कर में आई चोटों के इलाज के क्रम में स्वतंत्र कुमार की मृत्यु हो गई। तदनुसार वाद बिन्दु सं.1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 11 सी1/5 व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से 22 सी1 प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक मुन्ना लाल तिवारी विपक्षी सं. 2 के चालक लाइसेन्स की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि चालक मुन्ना लाल तिवारी के पास दिनाँक 10.02.1982 से 08.11.2018 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 06.02.2017 की है। आरोपपत्र चालक मुन्ना लाल तिवारी के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक 06.02.2017 को प्रश्नगत ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था।अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 11 सी1/3 लगायत 11 सी1/3 प्रश्नगत ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत ट्रक का बीमा दिनाँक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक वैध एवं प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खण्डन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 11 सी1 व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से 23 सी1 प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां तथा विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से 24 सी1 परमिट, 26 सी1 प्रश्नगत वाहन ट्रक के स्वस्थता प्रमाणपत्र की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं, जिनका खण्डन भी विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनाँक 06.02.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनाँक 06.02.2017 को विपक्षी सं. 3 ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. सीता होटल के पीछे सिविल लाईन, झाँसी के यहॉ विधिवत बीमित था। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 06.02.2017 को समय करीब 4.30 बजे शाम याचिया सं. 1 के पति व याची सं. 1 व 2 के पिता व याची सं. 4 व 5 के पुत्र स्वतंत्र कुमार अपनी मोटर साईकिल नं. यू.पी. 93 एल 8254 से समरी से झाँसी लौट रहे थे तो झाँसी कानपुर मार्ग पर ट्रक नं. यू.पी. 93 ए टी 8089 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे याचिया का पति नीचे गिर गया और उनके दाये पैर में चोट आई जिसके इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज झाँसी में याचिया के पति स्वतंत्र कुमार की मृत्यु हो गयी। याचीगण मृतक पर आश्रित थे। अतः याचीगण मृतक की मृत्यु उक्त दुर्घटना में होने के कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है

अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं? चूँकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याचीगण ने याचिका में कथन किया है कि मृतक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरी में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत थे, जिससे उन्हें 40,000/-₹ प्रतिमाह वेतन मिलता था। पी.डब्लू.1 जो कि मृतक की पत्नी है, ने अपनी साक्ष्य में उक्त कथनों की पुष्टि की है। याचीगण द्वारा मृतक की आय के सम्बन्ध में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में 33 सी1/2 वेतन प्रमाण मृतक स्वतंत्र कुमार व कृष्ण मुरारी त्रिपाठी सर्विलांस इंसपेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगाँव द्वारा मृतक स्वतंत्र कुमार का वेतन प्रमाण पत्र 35 सी1/2 व सेवा पुस्तिका की छाया प्रति 35 सी1/3 लगायत 35 सी1/4 पत्रावली पर प्रस्तुत की हैं। मृतक के उक्त दोनों वेतन प्रमाणपत्र माह मार्च, 2017 की वेतन से सम्बन्धित हैं जो कि मेडिकल ऑफीसर इन्चार्ज, पी.एच.सी., चिरगाँव (झाँसी) द्वारा जारी किय गये है, जिनके अवलोकन से विदित होता है कि माह मार्च, 2017 में मृतक की कुल वेतन 38752/- ₹ व कटौती उपरान्त शुद्ध वेतन मुब. 38552/-₹ दर्शाई गयी है। उक्त के सम्बन्ध में याचीगण की ओर से पी.डब्लू. 3 के रूप में उक्त कृष्ण मुरारी त्रिपाठी,

सर्विलांस इंसपेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगाँव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह मिले सम्मन के अनुसार मृतक स्वतंत्र कुमर फार्मेसिस्ट का वेतन सम्बन्धी रिकॉर्ड व सर्विस बुक असल साथ लेकर आया है और उनकी छाया प्रति स्व प्रमाणित कर जरिए फेहरिस्त 34 सी1 से 35 सी1 लगायत 35 सी1/4 दाखिल कर रहा है। साक्षी पी.डब्लू.3 ने मृतक के उक्त वेतन प्रमाण-पत्र व सेवा पुस्तिका को अपनी साक्ष्य से साबित किया है और यह भी साक्ष्य दी है, कि मृतक की नौकरी सरकारी थी तथा मृतक की जन्म तिथि 15.08.1974 थी। अतः उपरोक्त साक्ष्य से मृतक की आय मुबलिग 38552/-₹ प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

15. मृतक का लगभग 27 दिन इलाज चला है। कुल ₹ 38,055 के बिल प्रस्तुत किए गए है। इसमें मानसिक कष्ट, इलाज के लिए आवागमन पर ब्यय, सहायक के लिए खर्च व पुष्टाहार पर खर्च आदि के मधु को जोड़ते हुए लम सम ₹ 60,000 अतिरिक्त लाया जाना न्याय उचित होगा।

16. याचीगण ने याचिका में मृक की उम्र 42 वर्ष अंकित की है तथा पी.डब्लू. 1 के रूप में मृतक की पत्नी ममता कुमारी मृतक की उम्र 42 वर्ष बताई है। मृतक की इंजरी रिपोर्ट 35 सी1/9 में भी मृतक की आयु 42 वर्ष अंकित है। 35 सी1/2 लगायत 35 सी1/3 मृतक की सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में मृतक की जन्म तिथि 15.08.1974 दर्ज है, जिसे पी.डब्लू .3 कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है तथा मृतक स्वतंत्र कुमार की जन्म तिथि 15.08.1974 ही बताई है। दुर्घटना दिनाँक 06.02.2017 की है। इस प्रकार मृतक की सेवा पुस्तिका के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 43 वर्ष 6 माह होती है जो उचित प्रतीत होती है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ की मृतक की उम्र दुर्घटना के समय लगभग 43 वर्ष 6 माह थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 14 का गुणक प्रयोज्य है। फार्मासिस्ट की सेवा स्थाई प्रकृति की सेवा होती है। 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लिए स्थाई नौकरी पर 30 % भविष्य में प्रत्याशा की वृद्धि, 5 व्यक्तियों के परिवार में स्वयं के खर्च पर 1/5 भाग की कटौती, याचीगण के पति, पिता व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/-रु याचीगण की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत रखते हुये दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/-₹, वैवाहिक सहचर्य की हानि के लिये 40,000/-₹ निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	38552	12	462624
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)		30	138787.2
स्वयं पर खर्च (भाग में)		5	120282.24
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)			481128.96
गुणक		14	6735805.44
वैवाहिक साहचर्य की क्षति		40000	6775805.44
संपदा की क्षति		15000	6790805.44
अंतिम संस्कार पर खर्च		15000	**6805805.44**
इलाज पर खर्च		60000	**6865805.44**
देय क्षतिपूर्ति			**6865805.44**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 68,65,805 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019-SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याची सं. 1 मृतक की पत्नी है तथा याची सं. 2 व 3 मृतक की पुत्री व पुत्र हैं व याची सं. 3 वर्तमान में वयस्क हो चुका है तथा याची सं. 4 व 5 मृतक के बृद्ध माता पिता हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुये मामले की समस्त परिस्थितियों में याचीगण सं. 1 लगायत 5 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 35, 25, 20, 10 व 10 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/ SC/ 1949/2009 M. R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की वार्षिकी (Anuity) बनाया जाना न्यायोचित होगा। वाद बिन्दु सं. 4 तदनुसार निर्णीत किया जाता है

17. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5**

अन्य किसी अनुतोष का मामला नही बनता है। तदनुसार यह वादबिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 3 ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **68,65,805** (अरसठ लाख पैंसठ हजार आठ सौ पाँच) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC-PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें जिसका ट्रांजैक्सन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम ईमेल po@mactjhansi.in व mactjhansi@gmail.com पर भेज दें।

याची सं.1, 2, 3, 4 व 5 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 35, 25, 20,10 व 10 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से समस्त याचीगण की 75-75 प्रतिशत भाग धनराशि की 3 वर्ष के लिए एन्युटी बनायी जाएगी। प्रतिकर की शेष 25-25 प्रतिशत धनराशि याचीगण जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में नकद प्रदान की जावेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 05.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 05.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी